

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

क्र./2082/कृ.आ.व्य./2016-17/14-2

नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2019

प्रति,

जिला कलेक्टर
सर्व—(छ.ग.)

विषय: फसल कटाई कार्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे को दूर करने हेतु दिशा-निर्देश।

—0000—

फसल कटाई कार्य में वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को दूर करने हेतु विभाग द्वारा संलग्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

आदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों का अपने जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्न : दिशा-निर्देश।

Mhe
26/3/20
(के.सी.पैकरा)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2019

पृ.क्र./²⁰⁸³/कृ.आ.व्य./2016-17/14-2

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, संसदीय कार्य, जल संसाधन एवं आयाकट विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यो. विभाग।
4. निज सचिव, सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यो. विभाग।
5. संचालक कृषि छ.ग. संचालनालय कृषि विकास भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. रायपुर।
7. संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
8. संचालक, अनुसंधान सेवाएँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग.।
9. संयुक्त संचालक, कृषि — (सर्व)
10. उपसंचालक, कृषि — (सर्व)

Mhe

संयुक्त सचिव 26/3/20

छत्तीसगढ़ शासन


कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

फसल कटाई के संबंध में दिशा-निर्देश

वर्तमान में विभिन्न फसलों की हो रही कटाई को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई कार्य में कौरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के खतरे को दूर करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- फसल कटाई यथा संभव मशीन चलित उपकरणों से की जावे। हस्त चलित कटाई उपकरण काम में लेने पर उपकरणों को दिन में कम से कम 3 बार साबुन के पानी से कीटाणु रहित (Sterlize) करें।
- फसल कटाई में Social distancing की सख्ती से पालन की जावे। खेत में फसल काटने, खाने खाते समय एक व्यक्ति से दूसरे के मध्य कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जावे। खाने के बर्तन अलग-अलग रखें तथा प्रयोग पश्चात् साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करें।
- एक व्यक्ति द्वारा काम लिए जाने उपकरण को दूसरा व्यक्ति कदापि काम में न ले। कटाई करने वाले सभी व्यक्ति अपने-अपने उपकरण ही काम में लें।
- कटाई के दौरान बीच-बीच में अपने हाथों को साबुन के पानी से अच्छी तरह साफ करते रहें।
- कटाई कार्य अवधि में पहले दिन पहने कपड़े दूसरे दिन काम में न लें। काम में लिए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाने के पश्चात् ही पुनः उपयोग किया जावें।
- कटाई के दौरान सभी व्यक्ति अपनी-अपनी पानी की बोतल रखें।
- कटाई करने वाले सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें।
- अगर किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार, सददर्द, बदनदर्द आदि के लक्षण हैं तो उसे फसल कटाई कार्य से अलग रखें तथा तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्यकर्मी को सूचित करें।
- खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी व साबुन की उपलब्धता रखें।
- धेसिंग कार्य के दौरान भी उपरोक्त अनुसार Social distancing, मास्क का प्रयोग, खाने व पानी पीने के बर्तनों का प्रयोग आदि सभी सावधानियों का पूर्ण गंभीरता से पालन करें।


(के.सी. पुरोहित) 20
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग